भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 680**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पूर्वी भारत को निर्यात-उन्मुख विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना

680. **श्री संजय कुमार झा**:

क्या ***वाणिज्य और उद्योग मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वी भारत को निर्यात-उन्मुख विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कोई नई नीति लागू कर रही है;

(ख) क्या बिहार में रेशम, मखाना, शहद और मिथिला पेंटिंग आधारित एमएसएमई क्षेत्र को निर्यात प्रोत्साहन के लिए विशेष हैंडहोल्डिंग (सहायता) दी जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार, पूर्वी भारत के राज्यों सहित देश भर में निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलों का कार्यान्वयन कर रही है। उनमें से कुछ पहलों में शामिल हैं:-

(i) निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम): सरकार द्वारा भारत के निर्यात ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), पहली बार के निर्यातकों और श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ii) निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच): निर्यात केंद्र के रूप में जिलों की पहल के तहत, उत्पादों और सेवाओं की पहचान जिला स्तर पर उनकी निर्यात क्षमता के आधार पर की जाती है और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय से जिला निर्यात कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। इस पहल का उद्देश्य कारीगरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और पहली बार के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाते हुए बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, मानकीकरण, ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और क्षमता निर्माण से संबंधित कमियों को दूर करके स्थानीय मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

(iii) निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई), 20,000 करोड़ रूपये की क्रेडिट गारंटी का कवर प्रदान करती है, और एमएसएमई निर्यातकों के लिए ईसीजीसी कवर को (80 करोड़ रूपये तक) बढ़ाती है।

(ख) एवं (ग) देश भर में, एमएसएमई सहित, पात्र निर्यातकों के लिए वाणिज्य विभाग और इसके संगठनों की विभिन्न पहलों के माध्यम से निर्यात संवर्धन सहायता प्रदान की गई है। विशेष रूप से, एपीडा ने मुख्य रूप से बिहार में उत्पादित मखाना (फॉक्स नट्स) के निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैं:

(i) जीआइ टैग वाले मिथिला मखाना के निर्यात को सुगम बनाकर अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड, चीन और यूएई जैसे वैश्विक बाजारों में इसकी मांग में वृद्धि हुई है।

(ii) एपीडा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जीआइ टैग वाले मिथिला मखाना के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के बागवानी निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iii) किसान, एफपीओ और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से अब तक प्रमुख मखाना-उत्पादक केंद्रों में निर्यात मानकों पर 100 से अधिक क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(iv) गल्फूड, आहार और इंडसफूड जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बिहार के कृषि उत्पादों का प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी।

(v) भारत के मखाना निर्यात की क्षमता का पता लगाने और भारत को इसके निर्यात के लिए एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक कार्य योजना विकसित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आइसीआरआइईआर) के सहयोग से "भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की कार्यनीति" पर शोध जारी किया गया।

निर्यात हब के रूप में जिले पहल के तहत, राज्य सरकारों के समन्वय से तैयार की गई जिला निर्यात कार्य योजनाएं क्षमता निर्माण, ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और निर्यात सुविधा सहित निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान और संवर्धन को सुगम बनाती हैं।
